

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 844 / 2012

संस्थापित दिनांक 30 / 10 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र जगतसिंह गुर्जर उम्र 70 वर्ष
निवासी- ग्राम खेरिया वान थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा- 294, 323, एवं 506 भाग-2 भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्रीमती हेमलता आर्य)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता- श्री पुष्पराज गुर्जर)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 29.05.2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 21.10.2012 को दिन के करीबन 03:00 बजे ढाढे वाले खेत मौजा खेरियावान में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी दशरथ सिंह को मां बहन को अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित करने, फरियादी दशरथ को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी दशरथ की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भाग-2 एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2012 को दिन के करीबन तीन बजे आरोपी नरेन्द्र एवं औतार ने फरियादी दशरथ के दाढे वाले खेत में पानी भर दिया था फरियादी ने आरोपीगण से इस बारे में कहा था तो आरोपी महेन्द्र एवं औतार उसे मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे थे उसने आरोपीगण से गालियां देने से मना किया था तो आरोपी औतार ने उसकी मारपीट की थी तथा महेन्द्र ने उसकी पीट एवं छाती में लाठी मारी थी, मौके पर भगवानदास एवं पवन मौजूद थे जिन्होंने बीच बचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौ में अपराध क्र0 22/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.10.2012 को दिन के करीबन तीन बजे ढाढे वाले खेत मौजा खेरियावान में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी दशरथ सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी दशरथ सिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी दशरथ सिंह की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी भगवानदास अ0सा0 1, डाँ0 आर0 विमलेश अ0सा0 2 एवं पवन अ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी भगवानदास अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष व्यक्त किया है कि वह आरोपी महेन्द्र को नहीं जानता है। फरियादी दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी पवन अ0सा0 3 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने फरियादी दशरथ को गालियां दी थी, उसकी मारपीट की थी एवं उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

9. डा0 आर0 विमलेश अ0सा0 2 ने आहत दशरथ की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 2 को प्रमाणित किया है।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

11. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी दशरथ की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है। शेष साक्षी भगवान दास अ0सा0 1 एवं पवन अ0सा0 3 द्वारा जिन्हें अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है, उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी दशरथ को मां बहन की गालियां दी थी, उसकी मारपीट की थी और उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

12. इस प्रकार साक्षी भगवानदास अ0सा0 1 एवं पवन अ0सा0 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा फरियादी दशरथ की मारपीट करने से इंकार किया गया है। डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 2 द्वारा फरियादी दशरथ की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 2 को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

13. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी दशरथ की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है, शेष साक्षी भगवानदास अ0सा0 1 एवं पवन अ0सा0 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 2 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी दशरथ सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां दी थी, उसे जान से मारने की धमकी दी थी एवं उसकी लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

14. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे, यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 21.10.2012 को दिन के करीबन 03:00 बजे ढांडे वाले खेत मौजा खेरियावान में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी दशरथ सिंह को मां बहन को अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी दशरथ को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित कियो एवं उसी समय फरियादी दशरथ की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह

न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी महेन्द्र सिंह को भा0दं0सं0 की धारा 294,506 भाग-2 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

16. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।
17. प्रकरण में आरोपी औतार फरार है अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा सम्पत्ति सुरक्षित रखी जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 29/05/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)